आवाजों को दबाने के लिए छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 बनाया गया तथा सरकार व उसकी सरकारी मशीनरी के विरुद्ध बोलने वाला हर व्यक्ति उसकी नजर में राजद्रोही हो गया।

सरकारें अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसे दमनकारी कदम उठाती रही हैं। आजादी के 64 वर्षों में जो काम सरकार का है (स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध कराना) नहीं कर सकी, वह यह बरदाश्त नहीं कर पा रही थी कि एक अदना सा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर उस काम को कर रहा है। यह सरकारों की विफलता की खीज का परिणाम है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उसको एक आम डॉक्टर कैसे कर रहा है?

जब इस देश का गृहमंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद व लालकृष्ण आडवाणी) आतंकवादियों के संदेश वाहक बनकर उनकी बातें प्रधानमंत्री तक तथा प्रधानमंत्री की बात उनतक पंहुचाते हैं तथा निगोसियेशन के तहत जेल में बंद आतंकवादियों को सहायता करते हैं, उनको चुपचाप जेल से छोड़ देते हैं तब उनपर देशद्रोह का आरोप नहीं लगता।

जब बीस-बीस निर्दोष लोगों की हत्या करने वाली डकैत फूलनदेवी से मुलायम सिंह यादव, अर्जुन सिंह, जेल में मिलते हैं बात करते हैं यहां तक पार्टी का टिकट देकर सांसद तक बना देते हैं, देश की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी तहसीलदार जैसे डकैत को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उन पर डकैतों से सम्बन्ध रखने उनको संरक्षण देने का आरोप लगा कर जेल नहीं भेजा जाता, जब लालू शहाबुद्दीन, पप्पू यादव से जेल में मिलने जाते हैं तो उनपर गुंडों को संरक्षण देने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती, जब आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार में चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों का सहारा ये दल लेते हैं तो उनपर कार्रवाई क्यों नहीं होती?आज केन्द्रीय मंत्री ममता बनर्जी खुले आम माओवादियों के साथ खड़ी हैं लेकिन सरकार में उनको जेल भेजने की हिम्मत तो दूर उनका मंत्री पद से हटाने तक का साहस नहीं है, प्लेन हाईजेकर को पार्टी का टिकट देने वाले के ऊपर आतंकवादी कार्यवाही क्यों नहीं?फिर एक डॉक्टर जब मजलूमों, गरीबों के स्वास्थ्य, मानवधिकार के लिए कार्य कर रहा है तो उस पर ऐसे झूठे आरोप गढ़कर जेल भेजने का मकसद क्या है?

सरकारें अपने हित के लिए सदैव ही कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग करती रही हैं। हम अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को बदलने की अवाज बहुत पहले से उठा रहे हैं। ये कानून अंग्रेजों ने भारतीयों के दमन के लिए बनाये थे जिसका दुरुपयोग आज देश के नेता/सरकारें कर रही हैं। संदर्भगत भारतीय दण्ड विधान की धारा 124ए जब महात्मा गांधी पर उनके सरकारी डाक बंगले अहमदाबाद में दिये गये प्रसिद्ध भाषण को आधार बनाकर लगायी गयी थी तो उन्होंने न्यायाधीश से कहा था-"Section 124A, under which I am charged, is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of citizens. ....I know that some of the most loved of India's patriots have been covicted under it. I consider it a privilege, therefore, to be charged with that section."

And on a major clause in the section which is to "excite disaffection against the government", Gandhiji had a concise comment: "Affection cannot be manufactured or regulated by law."

इस उम्रकैद ने डॉ. विनायक सेन को महात्मा गांधी, डॉ. मंडेला की कतार में खड़ा कर दिया है। ज्ञात हो कि डॉ. विनायक सेन की गिरफ्तारी पर 22 नोबुल पुरस्कार विजेताओं ने उनकी रिहाई की मांग की थी तथा इस सजा के खिलाफ तो सैकड़ों बुद्धिजीवियों एवं सिर्फ राजनीतिज्ञों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के सक्रिय लोगों ने आवाज बुलन्द की है।

दिल्ली उच्चन्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर ने इस फैसले की भर्त्सना करते हुए कहा "There cannot be a greater nonsensical judgment than this, I am ashamed, belonging to the judiciary, that such a ridiculous judgment was delivered." वोस्टन में भारतीय अमेरिकी एक्टिविस्ट ने इसके विरोध स्वरूप एक प्रर्दशन किया जिसमें कहा "The prison term awarded to Dr. Sen has evoked outrage among social activists in India.... The case violated International Standards of fair trail".... "This has Shaken our faith in the Indian judiciary" इसी क्रम में अपने एक बयान में नानरेजीडेन्ट इण्डियास फॉर सेक्युलर एण्ड हारमोनियश इण्डिया (NRI SANI) कहा "Using Flimsy evidence to convict Dr. Sen or any other person is unjust and wrong. It is a blot on Indian democracy and constitution."

जहाँ देश में देश की आर्थिक रीढ़ तोड़ देने वाले घपलेबाज, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज नेता, अपराधी, उद्योगपति, नरसंहारक खुले आम घूम रहे हैं वहाँ गरीबी, लाचारों, अशिक्षित आदिवासियों के स्वास्थ्य व मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक डॉक्टर को उम्रकैद की सजा सिर्फ अन्याय ही नहीं शर्मनाक भी है। ❑

काउन्टर-रिज्वाइन्डर

○ प्रचेता

बंटी— तू क्यों आजकल प्याज की तरह इतराती घूम रही है?

बबली— क्यों तुझे ऐसा क्यों लग रहा है?

बंटी— अरे तेरा भाव ही नहीं मिल रहा है।

बबली— क्यों दूँ भाव तुझे, जब पवार जैसे नेता मेरे इशारों पर चुनाव लड़ते और जीतते हैं तो क्यों न इतराऊँ?

बंटी— कौन सा चुनाव? अरे वो तो सुगर लाबी के नेता है तेरी जैसी छौंक वाली से क्यों चुनाव जीतेगा?

बबली— भारतीय जनता की तरह तेरी भी याददाश्त बहुत कमजोर है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार यह प्याज ही ले गयी थी उस समय यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था।

बंटी— वह दिन भूल जा। मंहगाई, भ्रष्टाचार अब इस देश में विशेषकर जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है यह देश बिचौलियों/दलालों का है यहाँ चुनाव मुद्दों पर नहीं होते।

बबली— कहता तो ठीक है। दस महीने में पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ गयी लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है।

बंटी— ये सब छोड़ बता नये साल में तेरा क्या एजेन्डा है?

बबली— क्यों?

बंटी— नहीं सिर्फ जानना चाहता हूँ हो सकता है तेरी कुछ मद्द कर सकूं।

बबली— इस देश से भ्रष्टाचार को निकाल कर पाकिस्तान भेजना।

बंटी— पाकिस्तान क्यों? चाइना क्यों नहीं? इटली और जापान क्यों नहीं?

बबली— देख कुछ भी कह लेकिन इटली का नाम मत लेना।

बंटी— क्यों क्या वह तेरी कमजोर नस है?

बबली— देख यहाँ से मैं वहाँ बहुत कुछ भेज चुकी हूँ अब ये सब वहाँ नहीं भेजूंगी।

बंटी— अच्छा चल ये बता तू भ्रष्टाचार खत्म कैसे करेगी?

बबली— ठीक वैसे ही जैसे नेता पिछले 60 बरस से गरीबी, अशिक्षा इस देश से खत्म कर रहे हैं।

बंटी— अब तो तू सोनिया माफिक बोलने लगी है। क्या राजनीति में आने का इरादा है?

बबली— मैं किसी के माफिक नहीं बोलती मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ ऐसा सच जो आजकल लोग बोलने से घबराते हैं।

बंटी— बस, बस! ज्यादा सच न बोल नहीं तो Sedition के charge में अन्दर कर दी जायेगी, और जमानत भी नहीं होगी।

बबली— क्या अंग्रेजों का राज है?

बंटी— नहीं, उनके गुलामों का राज है और तू तो जानती है गुलाम अपनी नाकामी बचाने के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं।

बबली— मैं बदलूंगी इस कानून को जो हमें गुलामी का अहसास कराते हैं।